

न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं- M 07 / 2021

धारा-107 द०प्र०सं०

समेश्वर महतो प्रथम पक्ष

बनाम

नरणी स्वामी वज्र द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं०
एवं तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही
एवं दिवसीय कार्यवाही

अभिलेख संख्या-एग०-...../20..... में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी हजिरी हजिरी के अप्राथमिकी सं०- 02/2021 दिनांक- 12/01/21 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि

जमीन विवाद
का लेकर उभय पक्ष में
वनाव है

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कनेट्टे ऐसा असतोपकारी कार्य करेगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं सत्यम कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000(पचास हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 19/02/2021 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

(4)

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित । दिनांक 02-08-2021 को 22वें

Handwritten signature

02-08-21

प्रथम पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित । द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी कार्यालय दण्ड अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 23-08-2021 को 22वें

23/08

प्रथम पक्ष हाजरी की गई । पीठान्त दण्ड अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 13/09/2021 को 22वें

4-

13.09.21

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी । वाद में वैधित्व प्राप्त लीमा दण्ड प्राप्त नहीं हो सका है अतः वाद कालबाधित हो गया है । अतः अभिलेख की कार्यवाही भी बंद की जाती है

Handwritten signature
13/9
कार्यालय दण्ड
दण्ड